



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या - 3942/2025

सुनील गौतम उर्फ सद्दाम कुरैशी @ सद्दाम हुसैन

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ, और एक अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : मधुसूदन दत्त मिश्रा, अरुण दिवाकर, भास्कर
दत्त मिश्रा, कपिल कुमार यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शा.अ.

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. द्वारा आज दायर किया गया प्रति शपथ पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दायर किया गया प्रत्युत्तर शपथ-पत्र भी अभिलेख पर ले लिया गया है।

राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. ने न्यायालय को सूचित किया है कि वर्तमान आपराधिक अपील का नोटिस शिकायतकर्ता को तामील करा दिया गया है, और इस संबंध में संबंधित थाने की आख्या को प्रति-शपथ पत्र के साथ संलग्नक संख्या सी.ए.-1 के रूप में संलग्न किया गया है।

आज जब इस मामले की सुनवाई हुई, तो न तो विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित था और न ही कोई प्रति शपथ पत्र दायर किया



गया है; इसलिए, इस न्यायालय के पास इस मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाकर इस अपील पर निर्णय देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना, और अभिलेख का भी अवलोकन किया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-क(2) के तहत यह वर्तमान आपराधिक अपील, विद्वान विशेष न्यायाधीश (अनु.जा./अनु.जन.जा. (अ.नि.) अधिनियम) लखनऊ द्वारा दिनांक 17.10.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। यह आदेश जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 8765/2025 के संबंध में पारित किया गया था, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 293/2025 से उत्पन्न हुआ था। यह मामला भा०न्या०सं०, 2023 की धारा 69, 352, 318(2), 115(2); अनु.जा./अनु.जन.जा. (अ.नि.) अधिनियम की धारा 3(2)(v); और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 के तहत, थाना बखशी का तालाब, जिला लखनऊ में दर्ज है। इस आदेश के द्वारा अपीलकर्ता का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अपीलकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से एक महीना पहले, पीड़िता अभियुक्त के घर गई थी और उसे पता चला था कि अपीलकर्ता मुस्लिम समुदाय से है; लेकिन भा.ना.सु.सं. की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में, पीड़िता ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से तीन महीने पहले वह अपीलकर्ता के घर गई थी और उसे अपीलकर्ता के धर्म के बारे में पता चला था। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि पीड़िता पिछले चार सालों से अपीलकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, लेकिन कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और न ही इसके लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि पीड़िता ने अपना चिकित्सीय परीक्षण करवाने से मना कर दिया है और वह बालिग है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है। उन्होंने आगे यह निवेदन किया है कि भा०ना०सु०सं० की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में विरोधाभास हैं। इसके बाद उन्होंने यह निवेदन किया है कि अपीलकर्ता



01.08.2025 से जेल में निरुद्ध है, जबकि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; और यदि अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और वह परीक्षण में भी पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया है कि अपीलकर्ता द्वारा साक्षियों या इस मामले के तथ्यों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को डराने-धमकाने या उन पर दबाव डालने की कोई संभावना नहीं है।

उपर्युक्त कारणों से, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है, तथा आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाए और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को रिहा किया जाए।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने ज़ोरदार ढंग से ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह निवेदन किया है कि अपीलकर्ता ने शादी का झांसा देकर और अपना असली धर्म बताए बिना पीड़िता के साथ बलात्कार किया है, और साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है और विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की बात को सही तरीके से समझा है; इसलिए, अपीलकर्ता ज़मानत पर रिहा होने का पात्र नहीं है और इस आपराधिक अपील को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, वह अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए अन्य तथ्यात्मक तर्कों का खंडन करने में विफल रहे।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जांच करने के बाद, यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण और भा०ना०सु०सं० की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में उस समय अवधि को लेकर विरोधाभास है, जब वह अपीलकर्ता के घर गई थी; पीड़िता पिछले चार वर्षों से अपीलकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, फिर भी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई और न ही इसका कोई स्पष्टीकरण दिया गया; पीड़िता ने अपना चिकित्सीय परीक्षण करवाने से इनकार कर दिया है और वह बालिग है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है; भा०ना०सु०सं० की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में भी विरोधाभास है; अपीलकर्ता 01.08.2025 से जेल में निरुद्ध है और उसका कोई



आपराधिक इतिहास नहीं है; उसने यह वचन दिया है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा; मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का यह मत है कि अवर न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सही मूल्यांकन करने में विफल रहा है, अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है। परिणामस्वरूप, विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनु.जा./अनु.जन.जा. (अ.नि.) अधिनियम, लखनऊ द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 8765/2025 में दिनांक 17.10.2025 को पारित किया गया आक्षेपित आदेश—जो मुकदमा अपराध संख्या 293/2025 से संबंधित है और भा०न्या०सं०, 2023 की धारा 69, 352, 318(2), 115(2), अनु.जा./अनु.जन.जा. (अ.नि.) अधिनियम की धारा 3(2)(व) तथा उ०प्र० धर्म का गैर-कानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 के तहत थाना बखशी का तालाब, जिला लखनऊ में दर्ज है—एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

अपीलकर्ता—**सुनील गौतम उर्फ सद्दाम कुरैशी उर्फ सद्दाम हुसैन** को, उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- I. अपीलकर्ता परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- II. अपीलकर्ता परीक्षण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- III. अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- IV. अपीलकर्ता कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
- V. अपीलकर्ता, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।



- VI. अपीलकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक नियत तिथि पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।
- VII. अपीलकर्ता साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- VIII. अपीलकर्ता, धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

चूँकि यह आदेश अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

20 मार्च 2026

केकेवी/

(न्यायमूर्ति, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)